परित्याग नोटिस

श्री. मार्टिन, S/o श्री. विल्सन, नियमित मजदूर, जो मध्य अंडमान वन प्रभाग से जुड़ा हुआ है और बकुलतला रेंज के अंतर्गत। वह 16/07/2020 से 13/09/2020 तक 60 दिनों के अर्जित अवकाश पर, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या एमए/एलई/110 दिनांक 05/07/2020 द्वारा स्वीकृत अवकाश पर था। इसके बाद आज तक ड्यूटी पर नहीं आया है और तब से अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा है। ड्यूटी से अनाधिकृत अनुपस्थित की अवधि 03 वर्ष से अधिक हो गई है और वह आज तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया।

इसलिए इस नोटिस के माध्यम से उसे एक बार फिर निर्देश दिया जाता है कि वह इस परित्याग नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 07 (सात) दिनों के भीतर ड्यूंटी पर रिपोर्ट करें ऐसा न करने पर सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत तथा मध्य अंडमान वन प्रभाग के औद्योगिक श्रमिकों के लिए लागू स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार, उसके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(Dr. Abdul Qayum, IFS)

प्रभागीय वन अधिकारी

Divisional Forest Officer मध्य अण्डमान

Middle Andaman

-



DESERTION NOTICE

Shri. Martin, S/o Shri. Wilson, Regular Mazdoor attached to Middle Andaman Forest Division and posted under Bakultala Range was on Earned leave w.ef. 16/07/2020 to 13/09/2020 for 60 days, sanctioned vide this O/o No. MA/LE/110 dated 5/07/2020. Thereafter the Govt. Servant has not reported for duty till date and has been un-authorizedly absenting from duty since than. The period of unauthorized absence from duty has exceeded for more than 03 years and he was not yet reported for duty till date.

Hence, through this notice he is once again hereby directed to report for duty within 07(Seven) days from the date of publication of this desertion notice failing which necessary disciplinary action as deemed fit shall be initiated against him under CCS(CCA) Rules, 1965 & as per provisions of standing orders applicable for Industrial workers of Middle Andaman Forest Division.

(Dr. Abdul Qayum, IFS)

प्रभागीय वन अधिकारी

Divisional Forest Officer मध्य अण्डमान

Jiddle Andaman